संख्या:2018/XXVIII-1-2005-150/2004

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 18 मार्च, 2005

विषय : राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10704/2004-05 दिनांक 19.11.2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय इस वित्तीय वर्ष 2004-05 मे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रोहिड़ा जनपद-चमोली, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़व, बररूड़ी जनपद-रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु भवनों की कुल आगणनों के सापेक्ष क्रमशः रोहिड़ा हेतु रू0 5,86,000.00 (रू0 पांच लाख छियासी हजार मात्र), बाड़व हेतु रू0 7,67,000.00 (रू0 सात लाख सड़सठ हजार मात्र) तथा बररूड़ी जनपद-रूद्रप्रयाग हेतु रू0 7,25,000.00 लाख, (रू0 सात लाख पच्चीस हजार मात्र) कुल रू0 20,78,000.00 लाख (रू0 बीस लाख अठत्तर हजार मात्र) के व्यय की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत अनुमोदित दरों को जो दों शिडयूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा एवं स्वीकृत मानक से अधिक किसी भी दशा में न होगा।

3- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति मानक है स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5- एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखने एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

NIC-13947

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारीयों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देषों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण सामाग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– कार्य कराते समय ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजेन्सी का होगा।

10– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पूजीगत परिव्यय –02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –800अन्य व्यय –91 जिला योजना 9101–राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय /अनावासीय भवनों का निर्माण –24 बृहत निर्माण कार्य की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–1607/वित्त अनुभाग–2/2004–05 दिनांक 17 मार्च 2005 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2– कोषाधिकारी चमोली/रूद्रप्रयाग।
3– क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी चमोली/रूद्रप्रयाग ।
4– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा चमोली, रूद्रप्रयाग ।
5– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग।
6– गार्ड फाईल /एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव